

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में 45 एजेंडों पर लगी मुहर 69692 शिक्षकों की नियुक्ति को मिली मंजूरी

- ♦ विकास मित्रों को अब 13700 की जगह मिलेंगे 25000 रुपये
- ♦ प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में अनुभव की समय सीमा को 10 वर्ष से घटाकर आठ वर्ष किया गया
- ♦ बिहार सरकार ने शिक्षा सेवक की सेवा शर्तों का किया विस्तार



केटी न्यूज़/पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अध्यापक को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 45 प्रस्तावों के स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने 69,692 शिक्षकों को मंजूरी दी है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोकसेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। नवीनियुक्ति वर्ष 11-12 तक के अध्यापक

शिक्षा सेवक का मानदेय बढ़ाकर 22 हजार किया गया

कैबिनेट ने राज्य में काम करनेवाले शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) का मानदेय 11 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर अब 22 हजार रुपये प्रति माह करने की स्वीकृति दी गयी। साथ ही उनको इंटीएफ में समानुपातिक अशदान की वृद्धि की गयी है। मानदेय में वृद्धि के साथ ही सरकार ने इनकी सेवा शर्तों का भी विस्तार कर दिया है। अब ये लोग बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे, शिक्षक के अनुसरित रहने पर कक्षा भी लेंगे, इनकी वीसी के माध्यम से हाजिरी भी होगी। ये नियमित कर्मवारियों की तहत काम करेंगे।

आगामी दो दिनों के लिए गैस चूला व सिलिंडर: समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में 115009 आंगनबाड़ी केंद्रों का संलग्न किया जा रहा है। अब इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को धुआं रहित ईंधन के लिए लालीपीया वाले दो-दो गैस सिलिंडर और बर्नर वाला रिंगल चूला दिया जायेगा। साथ ही उनको मासिक रूप से गैस रिफिलिंग की सुविधा भी दी जायेगी।

आगामी दो दिनों के लिए गैस चूला व सिलिंडर: बच्चों में कृषिप्रौढ़ का दूष करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन-चार वर्ष तक के बच्चों को नाशते के अतिरिक्त इस विनियोग वर्ष में दो दिन दूष चूर्छ से तैयार दूष उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना पर सलाना कुल 232 करोड़ 20 लाख रुपये होगा।

लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 11,830 पद हैं जबकि वर्ग नौवं तक के अध्यापक के 18,880 पदों पर नियुक्ति होगी। इसी प्रकार से वर्ग छठ-आठ तक के लिए अध्यापक के लिए छठे करोड़ 31,982 पद होंगे।

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा

एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने लिए आंगनबाड़ी के साथ ही अनुभव की समय सीमा को 10 वर्ष से घटाकर आठ वर्ष कर दिया गया है। पहली सिंतंबर, 2023 के प्रभाव से 13,700 रु. से बढ़ाकर अब 25 हजार रु. प्रति माह परीक्षा के पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग और

नियमावली 2023 को भी स्वीकृति दी गयी। बीपीएससी मिलिकर तैयार करेंगे।

संशोधन के बाद प्रधानाध्यापक की

नियुक्ति में अनुभव की समय सीमा को 10

वर्ष से घटाकर आठ वर्ष कर दिया गया है। पहली सिंतंबर, 2023 के प्रभाव से 13,700

रु. से बढ़ाकर अब 25 हजार रु. प्रति माह कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा देव

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

अनियमित कर्मचारी भविष्य निधि खाता का

अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय में हर साल पांच प्रतिशत की हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय को अपलब्ध कराया जायेगा। विकास मियों को हर साल पहली सिंतंबर के मानदेय में रखते पांच प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

